न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—राहुल कुमार मल्हौत्रा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2020 **दायर दिनांकः 02/03/2020**

उनवान

1. लेखराज आयु 42 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
2. जगदीश आयु 39 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
3. हरिमोहन आयु 36 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
4. निर्मलाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
5. विमलाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
6. रीनाबाई आयु 27 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद आयु 62 वर्ष पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

आदेश दिनाकः 23/09/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू मे खाता संख्या 283 की ख0नं0 457 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 458 रकबा 3.35 है0 कुल 2 किता रकबा 3.40 है0 आराजी वादीगण के पिता प्रहलाद पुत्र दुर्गालाल प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

जिसके एक मात्र वारिस वादीगण है। नकल जमाबन्दी 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकारी प्राप्त है। वादीगण के पिता उक्त वर्णित आराजी को कहीं रहन एवं बैचान करना चाहता है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही है। अगर वह ऐसा करते है तो वादीगण के नैसर्गिक अधिकारों का हनन होगा। अतः वादीगण को अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का हिस्सा समभाग खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने काश्त करने हेतु अलग अलग आराजी दें रखी है। लेकिन आराजी में हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य, खाद, बीज, खरीदने व बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में संयुक्त रूप से समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। जिसके हम अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिये उन्हें 80 सी0पी0सी0 को नोटिस नही दिया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से हमारा नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे कि :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

(अ) यह कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी मे प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से सह खातेदार घोषित किया जाकर समभाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को दिलायी जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू में खाता संख्या 283 की ख0नं0 457 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 458 रकबा 3.35 है0, कुल 2 किता रकबा 3.40 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/7, 1/7 बनता है। उक्त प्रकरण वाद में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है। ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू की खाता संख्या 283 किता 2 रकबा 3.40 है0 आराजी में से वादीगण 4 निर्मलाबाई 5 विमलाबाई 6 रीनाबाई ने अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/7, 1/7 का हकत्याग अपने सगे भाई वादी क्रम 1 लेखराज 2 जगदीश 3 हरिमोहन के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त किये ही कर दिया है। ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू की खाता संख्या 283 किता 2 रकबा 3.40 है0 आराजी में राजीनामा के अनुसार वादी क्रम 1 लगायत 3 को 2/7, 2/7 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/7 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य राजीनामा को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री चन्दालाल नागर व प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री महावीर प्रसाद नागर द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 283 ख0नं0 457 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 458 रकबा 3.35 है0 कुल किता 2 रकबा 3.40 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 प्रहलाद के खाते दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 को पिता से मिली है। जो पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र ग्राम बडौरा के अनुसार वादीगण 1 ल 7 प्रतिवादी क्रम 1 के पुत्र पुत्री है। जिनका पैत्रिक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार बनता है।

आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 अपने पुत्र पुत्रियों को बराबर बराबर 1/7, 1/7 हिस्सा देने हेतु सहमत है तथा वादी क्रम 4 निर्मलाबाई 5 विमलाबाई 6 रीनाबाई द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/7, 1/7, 1/7 बिना प्रतिफल प्राप्त किये अपने भाई वादीक्रम 1 लेखराज 2 जगदीश 3 हरिमोहन के पक्ष में हकत्याग कर दिया है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 283 ख0नं0 457 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 458 रकबा 3.35 है0 कुल किता 2 रकबा 3.40 है0 में वादीगण 1 ल 6 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/7, 1/7 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

वादी क्रम 4 निर्मलाबाई 5 विमलाबाई 6 रीनाबाई द्वारा अपना हिस्सा 1/7, 1/7, 1/7 अपने भाईयों को हकत्याग करने पर वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा 2/7, 2/7, 2/7 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/7 हिस्सा का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा रहन बडौरा राज0 क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्हौत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 41/2020

उनवान

1. लेखराज आयु 42 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
2. जगदीश आयु 39 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
3. हरिमोहन आयु 36 वर्ष पुत्र प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
4. निर्मलाबाई आयु 35 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
5. विमलाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू।
6. रीनाबाई आयु 27 वर्ष पुत्री प्रहलाद जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद आयु 62 वर्ष पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी.एक्ट.
व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 283 ख0नं0 457 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 458 रकबा 3.35 है0 कुल किता 2 रकबा 3.40 है0 में वादीगण 1 ल 6 व प्रतिवादी क्रम 1 को हिस्सा 1/7, 1/7 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी क्रम 4 निर्मलाबाई 5 विमलाबाई 6 रीनाबाई द्वारा अपना हिस्सा 1/7, 1/7, 1/7 अपने भाईयों को हकत्याग करने पर वादीगण 1 लगायत 3 को हिस्सा 2/7, 2/7, 2/7 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/7 हिस्सा का खातेदार कृषक हकत्याग शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा रहन बडौरा राज0 क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कटावर का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में दर्ज किया जावें।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.09.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.10.07 13:11:38 IST
Reason: SelfAttested